

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-71/2021

तारीख दायर:-03.09.2021

तारीख निर्णय:-01.04.2025

1. श्री नन्दलाल पुत्र रूपचन्द पूर्बिया निवासी खाखड तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

### बनाम

1. श्री प्रेमचन्द पिता भैरा पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।
2. श्री प्यारचन्द पिता भैरा पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।
3. श्री जीवा पिता भैरा पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।
4. श्री गणेश पिता भैरा पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।
5. श्री देवीलाल पिता गलबा पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।
6. श्री प्रभु पिता मोहनलाल पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।
7. श्री आजादसिंह पिता रतनसिंह भटनागर निवासी खाखड तहसील झाडोल।
8. श्रीमती नवलीबाई पत्नी शांतिलाल पटेल निवासी खाखड तहसील झाडोल।

.....अप्रार्थीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

### निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा खाखड पटवार हल्का खाखड तहसील झाडोल में आराजी नम्बर 1174 रकबा 0.2000, 1238 रकबा 0.2000, 3582/1242 रकबा 0.0500, 3608/1237 रकबा 0.2600 किता 04 कुल रकबा 0.7100 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा खाखड पटवार हल्का खाखड तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 1174 रकबा 0.2000, 1238 रकबा 0.2000, 3582/1242 रकबा 0.0500, 3608/1237 रकबा 0.2600 किता 04 कुल रकबा 0.7100 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी  
झाडोल, जिला-उदयपुर




अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण वावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि कि कि मौजा खाखड पटवार हल्का खाखड तहसील झाडोल की आराजी नम्बर 1174 रकबा 0.2000, 1238 रकबा 0.2000, 3582/1242 रकबा 0.0500, 3608/1237 रकबा 0.2600 किता 04 कुल रकबा 0.7100 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(कपिल कुमार कोठारी)  
उपप्रमुख अधिकारी  
झाडोल, जिला उदयपुर